फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

फकीरचन्द बनाम **राजपाल**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 230 सन–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
30.09.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल /अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 94/93 की कुल 3.5550है भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश ,खाला, रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 29.11.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
29/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील सायल उपस्थित नहीं। आवाज लगवाई गई परन्तु ना तो सायल स्वयं उपस्थित और ना ही वकील सायल उपस्थित। अत: सायल व वकील सायल के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	

Scanned with CamScanner